

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

8 DEC 2015

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
3. सभी नराकास अध्यक्ष।


विषय :- "प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन मांग" (Online demand for training) के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में "प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन मांग" (Online demand for training) से संबंधित लिंक राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जिसका यू.आर.एल <http://chti.rajbhasha.gov.in/trngcal/mystart.php#noback> है।

2. सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / उपक्रमों / उद्यमों/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध प्रपत्र में अपने-अपने कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों का विवरण शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाइन भरने का कष्ट करें ताकि प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करते समय आपकी मांग के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
3. "प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन मांग" (Online demand for training) सिस्टम में लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड वही रहेंगे जो ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) भरते समय प्रयोग किए जाते हैं।

भवदीय



(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं अनुपालन के लिए प्रेषित :-

1. सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों को इस निदेश के साथ कि वे अपने-अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों में इस पत्र को अविलंब प्रचालित करें।